न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अशोक सांगवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 27 / 2023 दायर दिनांक 17.11.2023

स्टेट जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर

——आवेदक

बनाम

1. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता (विक्रेता व मालिक) मैसर्स गुप्ता मॉल, चक 28 पीबीएन, आर्मी केन्ट बस स्टैण्ड के सामने, सूरतगढ़।
2. श्री सुभाष सेतिया पुत्र श्री सरदारी लाल (थोक विक्रेता) मैसर्स पारस हॉलसेल भण्डार, नजदीक सोनी मार्किट वार्ड नं. 24 सूरतगढ ।

——अप्रार्थीगण

<u>इस्तगासा अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) / 51–58</u>

:: निर्णय :: दिनांकः–19 / 03 / 2025

1. यह इस्तगासा आवेदक श्री कंवरपाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/ 51–58 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. इस्तगासा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर में दिनांक 23.03.2023 को पद पर कार्य करने के लिये अधिकृत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या एफ5(1) चिस्वा. /ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्त/खासुरऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संशोधित आदेश क्रमांक–आयुक्ता0/खासुऔनि /संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दि. 22.03.2023 को समय 03.15 पीएम बजे मैसर्स गुप्ता मॉल चक 28 पीबीएन आर्मी केन्ट बस स्टैण्ड के सामने सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर पहुंचे। मौके पर उपस्थित श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान में रखा खाद्य पदार्थ घी (विधी ब्राण्ड) के बारे में जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया व संस्थान में रखे 200–200 मिली 54 जार पैक खाद्य पदार्थ घी (विधी ब्राण्ड) आमजन को बेचान हेतु होना बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से घी (विधी ब्राण्ड) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म नं. 5 ए भरकर देते हुए व्यक्त की। मौके पर ही विक्रेता को फार्म न. 5 ए भरकर दिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हसताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ घी (विधी ब्राण्ड) 200–200 मिली के 4 मूल जार पैक को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ घी (विधी ब्राण्ड) का नगद भुगतान 524 रूपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान तथा स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (विधी ब्राण्ड) के मूल 4 जार पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डीओं श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–1718 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. के–1718 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने भी हस्ताक्षर कर सील बंद चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुनील कुमार पुत्र श्री राकिशन गुप्ता (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर इस हस्ताक्षर किये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कियें। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ऑफिस पहुंचकर फार्म न. 6 की छः प्रतियॉं तैयार की एवं प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म न. 6 की प्रति के आऊटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। फार्म न. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सीलबदं नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक [illegible]/2023/86[illegible] दिनांक [illegible]2023 के अनुसार खाद्य कारोबाकर्ता के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ [illegible] का नमूना **SUBSTANDARD FOOD & CONTRAVENES REGULATION** होना पाया गया [illegible] खाद्यकारोबारकर्ता श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता (विक्रेता व मालिक) को भी जांच रिपोर्ट की [illegible] गई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच कर आवेदन फार्म 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन [illegible] करने हेतु कहा गया। श्री सुनील कुमार (विक्रेता व मालिक) ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। विक्रेता द्वारा माल खरीद का बिल मैसर्स पारस [illegible] भण्डार, नजदीक सोनी मार्किट, वार्ड नं. 24 सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर [illegible] प्रस्तुत करने पर उक्त फर्म से [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रांक क्रमांक/एफएसएसएए /2023/के–1718/[illegible]5 दिनांक 16.06.2023 के अनुसार [illegible]वेज की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Sangva
Date: 2025.05.12 11:14:10 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

मांग की गयी व फर्म द्वारा न्याय निर्णय हेतु आवेदन पत्र, जीएसटी प्रमाणित प्रतियां खाद्य अनुज्ञा पत्र व प्रोपराइटर आधारकार्ड प्रस्तुत किया है व अन्य कोई माल खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 29.08.2023 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक–एफएसएसए/2023/1311–12 दिनांक 31.08.2023 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। अप्रार्थी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता (विक्रेता व मालिक) मैसर्स गुपता मॉल, चक 28 पीबीएन, आर्मी केन्ट कबस स्टैण्ड के सामने सूरतगढ व श्री सुभाष सेतिया पुत्र श्री सरदारी लाल (थोक विक्रेता) मैसर्स पारस हॉलसेल भण्डपार, नजदी सोनी मार्किट वार्ड नं. 24 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ने खाद्य पदार्थ घी (विधी ब्राण्ड) **SUBSTANDARD FOOD & CONTRAVENES REGULATION** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उंल्घन किया है। जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51–58 में निर्धारित है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जावे।

3. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने हाजिर आकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये गये, परन्तु आज दिनांक तक अप्रार्थीगण द्वारा जवाब नोटिस पेश नहीं किया। अतः जवाब अप्रार्थीगण बंद किया जाता है।

4. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। फूड एनालिस्ट बीकानेर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर राजस्थान की रिपोर्ट क्रमांक **L.S.417/Act/2023/417** दिनांक 06.04.2023 में अप्रार्थीगण द्वारा आमजन को विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ घी (विधी ब्राण्ड) एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2))(ii)/51–58 का उल्लंघन करते हुए नमूना संख्या के–1718 **SUBSTANDARD FOOD & CONTRAVENES REGULATION** होना पाया गया। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की, विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा **SUBSTANDARD FOOD & CONTRAVENES REGULATION** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन ही नहीं किया है, अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता एवं लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता द्वारा आमजन को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ घी (विधी ब्राण्ड) **SUBSTANDARD FOOD & CONTRAVENES REGULATION** होना पाया गया अतः अप्रार्थी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता (विक्रेता व मालिक) मैसर्स गुप्ता मॉल, चक 28 पीबीएन, आर्मी केन्ट बस स्टैण्ड के सामने सूरतगढ को एवं लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्धेनजर रखते हुए एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2)(ii)/51 के तहत को राशि 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये) व एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2)(ii)/58 के तहत को राशि 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये) कुल 2,00,000 (दो लाख) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता द्वारा आमजन को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ घी (विधी ब्राण्ड) मैसर्स पारस हॉलसेल भण्डार, नजदीक सोनी मार्किट वार्ड नं. 24 सूरतगढ, से क्रय किया है। अतः श्री सुभाष सेतिया पुत्र श्री सरदारी लाल (थोक विक्रेता) मैसर्स पारस हॉलसेल भण्डार, नजदी सोनी मार्किट वार्ड नं. 24 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2)(ii)/51 के तहत को राशि 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये) व एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2)(ii)/58 के तहत को राशि 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये) कुल 2,00,000 (दो लाख) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर, अप्रार्थीगण को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णयानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (राज०)

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Sangva
Date: 2025.05.12 11:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner